पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

संसद प्रश्न: आर्कटिक अनुसंधान हेतु ध्रुवीय अनुसंधान पोत (पीआरवी)

Posted On: 07 AUG 2025 3:57PM by PIB Delhi

भारत के ध्रुवीय अभियानों और अनुसंधान गतिविधियों में सहायता के लिए व्यय विभाग (डीओई) ने हाल ही में ध्रुवीय अनुसंधान पोत (पीआरवी) के अधिग्रहण हेतु ₹2329.40 करोड़ के संशोधित लागत अनुमान को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की है। पीआरवी के अधिग्रहण की समय-सीमा 2025-26 से 2029-30 तक है। पहले जारी की गई निविदा रद्द कर दी गई थी क्योंकि पहचाने गए जहाज निर्माता ने अनुबंध की शर्तों में ऐसे बदलाव की मांग की थी जो स्वीकार्य नहीं थे। पीआरवी का संशोधित लागत अनुमान भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) के माध्यम से तैयार किया गया था जो जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके बाद, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने 2024 में संवर्धित अनुमानों की लागत-युक्ति की जाँच और मूल्यांकन करने तथा संशोधित लागत अनुमानों की सिफ़ारिश करने के लिए संशोधित लागत समिति (आरसीसी) का गठन किया। आरसीसी ने कुल परियोजना लागत ₹2329.40 करोड़ आंकी और उसे अनुमोदित किया।

अंटार्कटिका के लिए अभियान वार्षिक रूप से किराए पर लिए गए आइस-क्लास जहाजों के उपयोग के माध्यम से निर्बाध रूप से जारी रहे हैं जिसमें रसद सहायता और संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल हैं।

वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार, संशोधित समय-सीमा 2025-26 से 2029-30 है। अवधारणा डिज़ाइन और विनिर्देश पहले ही पूरे हो चुके हैं। देश भर के विशेषज्ञों वाली परियोजना निगरानी और समन्वय समिति (पीएमसीसी) इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करते हुए मार्गदर्शन प्रदान करती है।

यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।

*****

पीके/केसी/पीके/डीए

(Release ID: 2153769)
Read this release in: English , Urdu